संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छटवी मंजिल विन्ध्याचल भवन, मध्य प्रदेश भोपाल
दूरभाष 0755–2578491 फैक्स 2768159
E-Mail- rajyayojnahorti@mp.gov.in

क्रमांक / उद्यान / राज्य योजना / 01 / 2019–20 /5183 भोपाल, दिनांक 17/7/19

प्रति,

उप / सहायक संचालक उद्यान,
जिला ....

विषयः– वर्ष 2019–20 के लिये राज्य पोषित सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–6–1 / 2019 / 58 दिनांक 20 जून, 2019

–:000:–

मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशो के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 4207 दिनांक 15.06.2019 द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन कर निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

1. योजना का क्रियान्वयन जारी मार्गदर्शी निर्देश अनुसार किया जाये।
2. पूर्व में जारी निर्देशो द्वारा प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्वान्त को समाप्त करते हुए कृषकों का चयन एवं क्रियान्वयन हेतु MPFSTS पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
3. योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।
4. इस वर्ष नवीन फसल के रूप में खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सिंघाड़ एवं कमलगट्टा को प्रथमवार समावेश किया गया है, जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाकर हितग्राहियों को लाभानिवत किया जाये।
5. किसान स्वयं अपने स्तर से ऑनलाईन पंजीयन कर सकेगा, इसके अतिरिक्त कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को भी विकासखण्ड स्तर पर विभागीय अमले द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करवाया जायेगा। कोई भी ऑफ लाईन आवेदन मान्य नहीं होगा।
6. जिलों को आवंटित लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक तक पंजीयन किया जा सकेगा।
7. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित ग्रा.उ.वि.अधि. / व.उ.वि.अधि. कृषक के प्रक्षेत्र का भ्रमण कर सिंचाई के साधन, भूमि का प्रकार, सिंचाई की पद्धति, सिंचाई जल की गुणवत्ता, भूमि में जलभराव एवं जल निकास की स्थिति, पहुँचमार्ग की स्थिति, शहर से प्रक्षेत्र की दूरी, प्रक्षेत्र पर स्थापित अधोसंरचनाओं की स्थिति, किसान प्रक्षेत्र पर निवास करता है या शहर में, किसान की शिक्षा, किसान के पास उपलब्ध कृषि यत्रों की स्थिति, किसान के पास कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर), उद्यानिकी फसलों का रकबा (हेक्टेयर), किसान के पास आय के अन्य साधन, किसान की सहमति आदि बिन्दुओं पर प्रतिवेदन जिला उद्यानिकी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर उपयुक्त

आवेदन का चयन करते समय जिला अधिकारी पंजीयन की वरियता को ध्यान में रखेगा।

8. ग्रा.उ.वि.अधि./व.उ.वि.अधि. द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर जिला अधिकारी पात्र एवं उपयुक्त हितग्राहियों का चयन कर कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर आपत्ति आमंत्रित करेगा। 03 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर चयनित हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा। ऐसी प्रक्रिया अपनाते समय जिला अधिकारी ऐसे आवेदक किसानों को प्राथमिकता देगा जिन्होने विभाग की योजनाओं में पूर्व में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
9. उप/सहायक संचालक उद्यान पात्र एवं उपयुक्त कृषकों की सूची की अनुशंसा निम्नानुसार गठित समिति से प्राप्त करेगाः–

– कलेक्टर	अध्यक्ष
– मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत	समन्वयक
– उप/सहायक संचालक उद्यान	सदस्य सचिव
– उप संचालक कृषि	सदस्य
– जिला प्रबन्धक, एम0 पी0 एग्रो	सदस्य

उप/सहायक संचालक उद्यान समिति उक्त अनुशंसित की गई कृषक सूची का अनुमोदन ज़िला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से प्राप्त करेंगे।

10. जिला अधिकारी द्वारा पात्र हितग्राहियों को जिला उद्यानिकी प्रशिक्षण केन्द्र में 01 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त चयनित एवं प्रशिक्षित पात्र हितग्राहियों को ही प्रशिक्षण समाप्ति के बाद 02 दिवस में लक्ष्य के अनुसार कार्यादेश/आशय पत्र ऑनलाईन जिला अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे। कार्यादेश की वैधता 01 माह की रहेगी। चयनित हितग्राही द्वारा 01 माह की समयावधि में पौध रोपण/सीडलिंग/कंद रोपण/बीज की सूचना क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि. अधि. द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। 01 माह की अवधि में पौध रोपण न करने की सूचना क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि. से प्राप्त होने पर कार्यादेश/आशय पत्र निरस्त की कार्यवाही जिला अधिकारी द्वारा की जाकर आवेदन को एस.एम.एस. के द्वारा सूचित किया जायेगा।
11. यदि चयनित हितग्राही बीज/कंद आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय से योजना प्रावधान अनुसार करता है व देयक प्रस्तुत करता है तो अनुदान की राशि संबंधित हितग्राही के बैक खाते में अंतरित की जाये। यदि बीज/कंद आदि की व्यवस्था एम.पी.एग्रो के माध्यम से की जाती है, ऐसी स्थिति में योजना के प्रावधान अनुसार हितग्राही द्वारा कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो को भुगतान की जावेगी, जिसकी सूचना एम.पी.एग्रो द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जावेगी। कृषक अंश प्राप्त होने के उपरांत जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा कंद/बीज की प्रदायगी हेतु एम.पी. एग्रों को लेख किया जायेगा। तदानुसार सामग्री एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदाय की जायेगी तथा अनुदान राशि का भुगतान एम.पी.एग्रों को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जावे।

12. योजना चयनित हितग्राहियों को जिला अधिकारी सीड़लिंग/पौध उद्यानिकी विभाग की शासकीय नर्सरी/फार्म/सीडलिंग उत्पादन केन्द्र से प्रदाय करने को प्राथमिकता देंगे।
13. सीडलिंग जिले की शासकीय रोपणी एवं प्रदेश स्तर की स्थापित सीडलिंग उत्पादन इकाईयॉ (शासकीय रोपणी कान्हासैया, भोपाल, शासकीय फलबाग रोपणी, इंदौर एवं शासकीय प्रक्षेत्र, नूराबाद, मुरैना) से प्राप्त की जा सकेगी।
14. सीडलिंग प्राप्ति हेतु संबंधित जिलों के जिला अधिकारी अनिवार्यतः 15 दिवस के अंदर सीडलिंग की मांग प्रजातिवार संबंधित संस्थाओं को प्रस्तुत करें।
15. कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने के अधिकतम 02 माह के अंदर (फसल की स्थिति के अनुसार) क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि./व.उ.वि.अधि. मैदानी भ्रमण कर फसल का सत्यापन करेंगे तथा कृषक से फसल की स्थिति के संबंध में परामर्शीय सेवा प्रदान करने के उपरांत जिओ टेगिंग की कार्यवाही करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हितग्राही की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
16. जिला अधिकारी 31 अक्टूबर तक इस योजना के हितग्राहियों को लाभ पाने की स्थिति की समीक्षा मैदानी अमले के साथ पाक्षिक आधार पर करेंगे तथा जिला अधिकारी रेण्डम आधार पर जिले में भ्रमण कर योजना के हितग्राहियों से संपर्क कर योजना क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का आंकलन करेंगे तथा सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/हार्टि/राज्य योजना/01/2019–20/5184 भोपाल, दिनांक 17/7/19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त संचालक उद्यान, ... संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री सी.एस. श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (आई.टी.) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि निर्देशानुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करें, तथा किये गये संशोधन का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त किया जाये।

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्य प्रदेश भोपाल